2.11.2021 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार मालाराम अनुपस्थित।

आज न्यायालय समय में पृथक-पृथक तीन बार आवाजें दिलाई जाने एवं अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज दिलाई जाने के उपरान्त भी प्रार्थी स्वयं अथवा उनके पैरोकार में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे अपने प्रार्थना आवेदन की पैरवी नहीं करना चाहते हैं।

फलस्वरूप प्रार्थी एवं उनके पैरोकार को पैरवी के समय तथा पैरवी हेतु अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त [illegible] आवेदन हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर एवं [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी